NRrhlx< 'kklu
foRr foHkkx

i=l foKfIr fnukd 09-02-2009

ctV 2009&10

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जो कि वित्त मंत्री भी है, ने आज वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये रुपये 22,211.10 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुये विधानसभा चुनाव के दौरान किये गये वायदों की पूर्ति की दिशा में गरीबों के व्यापक हित में अनेक आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा की । उन्होनें वर्तमान आर्थिक मंदी के दौर में कमजोर वर्गो पर होने वाले सर्वाधिक असर के परिप्रेक्ष्य में इन उपायों को सही ठहराया । डॉ. सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के इस प्रथम बजट में निर्धन, महिला, कृषक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण पर अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये गरीबी, कुपोषण एवं शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी तथा शुद्ध पेयजल आपूर्ति जैसे प्रमुख मिलेनियम डेव्लपमेंट लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष जोर दिया ।

2. खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 7 लाख अंत्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो तथा शेष 30 लाख बी.पी.एल. परिवारों को 2 रूपये प्रति किलो की रियायती दर से चावल वितरण तथा बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त आयोडीन युक्त नमक वितरण हेतु 1,458 करोड़ का प्रावधान, किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर 270 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस उपलब्ध करवाने हेतु 840 करोड़, 3 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु 46 करोड़ तथा 5 हार्सपावर तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 100 करोड़ इस बजट के मुख्य आकर्षण है । इस बजट में खाद्य सुरक्षा हेतु 29 प्रतिशत, सुपोषण हेतु 59 प्रतिशत तथा शिक्षा हेतु 43 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के क्रियान्वयन हेतु 1,000 करोड़ का व्यय होगा A

3. डॉ. सिंह ने व्यापार एवं उद्योग हेतु कई राहतों की घोषणायें की है । 10 लाख से कम वार्षिक टर्न ओवर वाले छोटे व्यापारियों को वृत्ति कर के दायित्व से सम्पूर्ण छूट दी गई है । बायो फ्यूल को वेट से मुक्त किया गया है । सेवई को कर मुक्त करने के साथ–साथ अगरबत्ती निर्माण के उपयोग में आने वाले कच्चे माल को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है । लेमिनेट्स और स्टील फ्रेब्रीकेट्स उत्पादों पर वेट दर 12.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया गया है । मंदी को ध्यान में रखते हुये लघु औद्योगिक ईकाइयों को मासिक कर के स्थान पर त्रैमासिक कर के भुगतान की सुविधा दी गई है । अचल संपत्ति के पंजीयन में मुद्रांक शुल्क में आधा प्रतिशत की रियायत दी जाकर 6.5 प्रतिशत की गई है।

4. **ctV ,d utj esa**

¼jkf'k djksM+ esa½

Ø-	en	2008&09 ¼iqujhf{kr vuqeku½	2009&10 ¼ctV vuqeku½	ifr'kr of)
1-	कुल आय (अ+ब+स+द)	**19]542**	**21]924**	12
	अ. राज्य का राजस्व	8,346	9,775	17
	ब. केन्द्र से प्राप्त राजस्व	8,432	9,122	8
	स. ऋणों की वसूली	713	749	5
	द. ऋण	2,051	2,278	11
2-	कुल व्यय	**19]746**	**22]211**	13

3-	बजटीय घाटा (अ + ब)	**898**	**1185**	32
	अ. चालु वर्ष का घाटा	204	287	41
	ब. पूर्व वर्षो का घाटा	694	898	29
4-	सकल वित्तीय घाटा = 2 – (1 अ + 1 ब + 1 स)	**2]256**	**2]564**	14

5. राज्य के कर राजस्व में 11 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 36 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित करते हुये **#i;s 806-16 djksM+ dk jktLo vkf/kD; dk ctV iLrqr fd;k x;k g$A o"kZ 2008&09 ds iqujhf{kr vuqeku 19]746 djksM+ dh rqyuk esa bl o"kZ dk ctV vuqeku 22]211 djksM+ dk g$ tks 12-5 izfr'kr vf/kd g$A o"kZ 2009&10 ds fy;s 'kq) ctVh; ?kkVk 287 djksM+ g$,oa iwoZ o"kksZ ds lafpr ?kkVk dks 'kkfey djrs g;s o"kZ 2009&10 ds fy;s ctV ?kkVk 1]185 djksM+ g$A ctV esa **ldy foRrh; ?kkVk** ¼_.k izkfIr dks NksM+dj jkT; dh ldy vk; ,oa ldy 0;; dk vUrj½ 2]564 djksM+ vuqekfur fd;k x;k g$] tks fd jkT; dh ldy ?kjsyw mRikn dk 3 izfr'kr g$** A यह वित्तीय घाटा ''छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम'' में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है।

6. कुल व्यय में से आयोजना व्यय (Plan Expenditure) 12,172 करोड़ है, **tks fd pkyw o"kZ ds vk;kstuk 0;; dh rqyuk esa 13 izfr'kr vf/kd g$,oa dqy 0;; dk 55 izfr'kr g$A vk;kstusRrj 0;; NBosa osru vk;ksx dh vuq'kalk ykxw djus ds ckotwn 45 izfr'kr ij lhfer fd;k x;k g$ A** आयोजना व्यय में सामान्य आयोजना के लिये 55 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 12 प्रतिशत प्रावधान है।

7. **ctV ds izeq[k fcUnq**

(राशि करोड़ रूपये में)

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1,440
बी.पी.एल.परिवारों को निःशुल्क आयोडीन नमक हेतु	18.5
मध्यान्ह भोजन योजना के प्रावधान में 21 प्रतिशत की वृद्धि	290
पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में शत–प्रतिशत की वृद्धि	328
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन पर कृषकों को बोनस	400
05 हार्स पावर के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु	100
3 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण	2
गन्ना प्रोत्साहन राशि 15 रूपये से 25 रूपये प्रति क्विंटल	6
आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकल प्रदाय हेतु	8.5
महिलाओं को नवीन गैस कनेक्शन पर आर्थिक सहायता हेतु	0.5
अनुसूचित जाति शोध संस्थान	1
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	100
112 प्राथमिक एवं 306 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 100 उच्चतर माध्यमिक शालाओं तथा 24 आई.टी.आई के भवन निर्माण हेतु	71

8. **lkekftd {ks= ds fy;s lokZf/kd izko/kku ¼9]991 djksM+½ fd;k x;k g$] tks fd dqy 0;; dk 45 izfr'kr g$,oa xr o"kZ dh rqyuk esa 19 izfr'kr vf/kd g$ A** इसमें शिक्षा के लिये 16 प्रतिशत, स्वास्थ्य के लिये 4 प्रतिशत, खाद्य सुरक्षा के लिये 6.5 प्रतिशत,

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण के लिये 5 प्रतिशत तथा पेयजल के लिये 2 प्रतिशत प्रमुख है ।

9. मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत् आबंटन को 21 प्रतिशत बढ़ाते हुये 290 करोड़ किया गया है । 0–6 वर्ष के शिशु एवं गर्भवती माताओं के लिये चलाई जा रही ''पूरक पोषण कार्यक्रम'' के अंतर्गत आबंटन को दुगुना करते हुये 328 करोड़ किया गया है । 34 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय हेतु 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है । शासन महिलाओं को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन पर 100 रूपये अनुदान देगी । नई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना हेतु राज्यांश बाबत् 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

10. स्कूल शिक्षा के बजट में 43 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी की पूर्ति हेतु 35 हजार नये शिक्षकों की नियुक्ति की जावेगी । आई.टी.आई. के भवनों की शत–प्रतिशत पूर्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । नई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना हेतु राज्यांश बाबत् 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

11. अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवतियों के लिये निःशुल्क नर्सिंग पाठ्यक्रम, अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 11 नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल, 11 आश्रम शालायें, 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा 4 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी । बस्तर, सरगुजा तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिये 105 करोड़ का प्रावधान है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध केन्द्र की स्थापना की जावेगी तथा गुरू घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी में जैतखंभ के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जनजातियों की श्रद्धास्थली के विकास के लिये शासकीय अनुदान 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया जावेगा ।

12. स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना की पूर्ति हेतु शेष 112 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण बाबत् 18 करोड़ का प्रावधान किया गया है । रायपुर, कोरबा, रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा में ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी । प्रदेश के मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा नारायणपुर जिलों के सभी परिवारों को दवा उपचारित मच्छरदानी वितरित किया जावेगा । राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिये अलग प्रकोष्ठ एवं वार्ड की स्थापना की जायेगी ।

13. कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों हेतु बजट प्रावधान में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । प्रमाणित बीज हेतु उत्पादन अनुदान 200 रूपये प्रति क्विटंल से बढ़ाकर 300 रूपये, गन्ना उत्पादकों को देय बोनस को 15 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 25 रूपये प्रति क्विंटल तथा डेयरी कृषकों के लिये परिवहन अनुदान बाबत् नवीन योजना हेतु प्रावधान किया गया है । अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने तथा केलो वृहद परियोजना, अन्य मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 1154 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बालोद एवं अंबिकापुर शक्कर कारखाने में उत्पादन प्रारंभ किया गया जायेगा ।

14. 34 सूखाग्रस्त विकासखंडों में अतिरिक्त पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराने हेतु 25 करोड़ का विशेष प्रावधान है । 8 जिलों के सूखाग्रस्त तहसीलों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 186 करोड़ का प्रावधान किया गया है । राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के राज्यांश में वृद्धि की जाकर 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

15. बजट में पूंजीगत व्यय (capital expenditure) मद में 3,569.23 करोड़ का प्रावधान है जो कि कुल व्यय का 16 प्रतिशत है। इस मद में सड़क, पुल एवं भवन निर्माण बाबत् 1761 करोड़ एवं सिंचाई परियोजनाओं हेतु 976 करोड़ प्रमुख है।

16. नक्सल विरोधी अभियान को अधिक प्रभावी बनाने हेतु पुलिस के बजट में 22 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 941 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । 7 नवीन थाना तथा 4 चौकियों की स्थापना एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हेतु पायोनियर कंपनी का गठन किया जायेगा ।

17. **ie[k foHkkxk gr ikko/kku %&**

¼jkf'k djkM+ e½

d-	foHkkx	2008&09 ¼iujhf{kr vuqeku½	2009&10 ¼ctV vuqeku½	ifr'kr ifjorZu
vkfFkZd {ks=				
1	कृषि, पशुपालन तथा मछलीपालन	692	779	13
2	लोक निर्माण	2028	2108	4
3	सिंचाई	1018	1153	13
4	खाद्य	1882	2424	29
5	आवास एवं पर्यावरण	218	360	66

lkekftd {ks=				
1	महिला एवं बाल विकास	442	704	59
2	स्वास्थ्य	524	590	13
3	आदिम जाति कल्याण	1634	1781	9
4	स्कूल शिक्षा	1782	2555	43
5	जनशक्ति नियोजन	150	163	9
lkekU; {ks=				
1	गृह (पुलिस)	771	941	22
2	विधि एवं विधायी कार्य	132	153	16

o"k 2009&10 d e[; 0;; d i ko/kku

f'k{kk

- शिक्षा के व्यय में चालू वर्ष से 40 प्रतिशत की वृद्धि ।
- मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत 2.50 प्रति छात्र की दर में वृद्धि करते हुये 3 रूपये प्रति छात्र ।
- 100 उच्चतर माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 100 करोड़ का राज्यांश ।
- 09 पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में तथा 17 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन ।
- शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिये ''श्रेष्ठ पालकत्व कार्यक्रम'' तथा विद्यार्थियों के पालकों में जागृति लाने हेतु ''जनपहल'' कार्यक्रम ।
- 02 नवीन आई.टी.आई.तथा 1 नवीन पॉलीटेक्निक खोलने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान ।
- 24 भवन विहीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ ।
- 06 नवीन महाविद्यालय की स्थापना ।

LokLF;

- 112 प्राथमिक स्वास्थ्य के भवन निर्माण हेतु 18 करोड़ का प्रावधान ।
- 306 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 23 करोड़ का प्रावधान ।
- 04 ए.एन.एम.प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 1 करोड़ का प्रावधान ।
- सरगुजा में नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान ।
- प्रदेश के मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ एवं वार्ड की स्थापना ।
- प्रदेश के 121 ग्रामों में ''आयुर्वेद ग्राम योजना'' हेतु 1 करोड़ का प्रावधान।
- बिलासपुर में 100 बिस्तर मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान ।

vuqlfpr tkfr ,oa tutkfr fodkl

- समस्त उच्चतर माध्यमिक शालाओं में वाणिज्य संकाय प्रारंभ ।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवतियों के लिये निःशुल्क नर्सिंग पाठ्यक्रम की सुविधा ।
- जगदलपुर तथा अंबिकापुर में जाति प्रमाण–पत्र छानबीन समिति के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना ।
- अनुसूचित जनजाति शोध केन्द्र की स्थापना हेतु 1 करोड़ का प्रावधान ।
- देवगुड़ी के विकास हेतु 10,000 के स्थान पर 25,000 अनुदान ।
- बस्तर, सरगुजा तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिये 105 करोड़ का प्रावधान ।
- 11 नवीन आश्रम तथा 20 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान ।

efgyk ,oa cky fodkl

- महिला एवं बाल विकास के बजट में चालू वर्ष के तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि।
- पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के दरों में शत–प्रतिशत वृद्धि ।
- आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकल प्रदान करने हेतु 9 करोड़ का प्रावधान ।
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन ।
- रायपुर में बाल भवन की स्थापना ।

i;ty

- 34 सूखा प्रभावित विकास खण्डों के पेयजल हेतु 25 करोड़ का प्रावधान ।
- 200 नल जल हेतु 12 करोड़ का प्रावधान ।
- 09 नये जल आवर्धन योजना हेतु 15 करोड़ का प्रावधान ।
- ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रशिक्षण ।

lekt dY;k.k

- श्रवण बाधित बालक बालिकाओं हेतु दंतेवाड़ा में तथा दृष्टि बाधित बालक बालिकाओं हेतु जशपुर में आवासीय विद्यालय की स्थापना ।
- कांकेर में बालिकाओं के लिये नवीन बालगृह की स्थापना ।
- शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत् शिक्षक एवं कर्मचारियों का मानदेय में वृद्धि ।

df"k ,oa i'kqikyu

- कृषि विकास के लिये 575 करोड़ का प्रावधान में चालू वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक ।
- 05 हार्स पावर के कृषि पंपों को विद्युत शुल्क से मुक्त रखने हेतु 100 करोड़ का प्रावधान।
- समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस हेतु 400 करोड़ का प्रावधान ।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 181 करोड़ का प्रावधान ।
- प्रमाणित बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान में वृद्धि ।
- गन्ना उत्पादन प्रोत्साहन राशि में वृद्धि ।
- 2000 शेलो ट्यूबवेल की स्थापना ।
- 50 पशु चिकित्सा भवन का निर्माण हेतु प्रावधान ।
- दुग्ध उत्पादकों को परिवहन अनुदान ।

lgdkfjrk

- पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी के लिये 3 प्रतिशत रियायती दर पर ऋण ।
- बालोद एवं अंबिकापुर शक्कर कारखाने हेतु 30 करोड़ का प्रावधान ।
- कृषकों को सहकारी बैंकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भी रियायती दर पर अल्प कालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा ।

[kk|

- प्रदेश के 7 लाख अंत्योदय परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो तथा शेष 30 लाख परिवारों को 2 रूपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराने हेतु 1440 करोड़।
- बी.पी.एल.परिवारों को निःशुल्क आयोडीन नमक उपलब्ध कराने हेतु 18.50 करोड़ ।
- महिलाओं को नवीन गैस कनेक्शन पर 100 रूपये अतिरिक्त सहायता हेतु 50 लाख का प्रावधान ।

flapkbZ

- सिंचाई हेतु 1154 करोड़ का प्रावधान ।
- 156 एनीकट तथा 27 लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।

ou

- बिगड़े बांस वनों के सुधार हेतु 84 करोड़ का प्रावधान ।
- लाख प्रसंस्करण हेतु 2.50 करोड़ का प्रावधान ।

ykd fuekZ.k

- 89 नवीन जिला मुख्य सड़क एवं राज्य सड़क के निर्माण ।
- 40 नवीन पुल तथा 01 रेल्वे पुल का निर्माण ।
- सड़कों के मरम्मत हेतु 330 करोड़ का प्रावधान ।

ipk;r ,oa xzkeh.k fodkl

- नवा अंजोर परियोजना हेतु 140 करोड़ का प्रावधान ।
- ग्रामीण अधोसंरचना विकास हेतु 93 करोड़ का प्रावधान ।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये राज्यांश हेतु 250 करोड़ का प्रावधान ।

[ky ,oa ;qok dY;k.k

- पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना हेतु 17 करोड़ का प्रावधान ।

m|ksx

- भिलाई तथा राजनांदगांव में नवीन अपरेल ट्रेनिंग डिजाईन केन्द्र की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान ।

jkstxkj

- 08 जिलों के 34 सूखा ग्रस्त तहसीलों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 186 करोड़ का प्रावधान ।

iqfyl ,oa tsy iz'kklu

- 07 नवीन पुलिस थाना एवं 04 नवीन पुलिस चौकी हेतु 28 करोड़ का प्रावधान ।
- दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के अधोसंरचना विकास हेतु 26 करोड़ का प्रावधान ।
- जंगल वारफेयर कालेज कांकेर के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान ।
- केन्द्रीय जेल दुर्ग तथा उप–जेल सूरजपूर में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा ।